

अपीलीय न्यायालय
(गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना)
मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०,
बनाम्
ईखायुक्त, बिहार एवं अन्य
अपील संख्या-03/2025

आदेश पत्रक

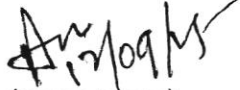
(सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष दायर अपील संख्या-03/2025 से संबंधित)

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दिनांक-22.08.2025 को सुनवाई हुई। यह अपीलवाद ईखायुक्त, बिहार के ज्ञापांक-1047/ई०का० दिनांक-07.07.2025 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-1086/ई०का० दिनांक-08.07.2025 के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है। संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०)/ईख महाप्रबंधक, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण/मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज/मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज/प्रबंधक, द यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कं० लि०, सेवरही, जिला-कुशीनगर (उ० प्र०) एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से यह पक्ष रखा गया कि विभागीय आदेश संख्या-1095 दिनांक-20.09.2023 के द्वारा मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण को पेराई सत्र 2023-24 से 2025-26 तक प० चम्पारण जिला के ठकराहा प्रखंड के आठ ग्रामों को आरक्षित किया गया था। पुनः आदेश सं०-936 दिनांक-12.09.2024 के द्वारा उपर्युक्त आदेश को संशोधित करते हुए द यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कं० लि०, सेवरही, जिला-कुशीनगर (उ० प्र०) के पक्ष में ठकराहा प्रखण्ड के कोयरीपट्टी पंचायत अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों/टोलों को पेराई सत्र 2024-25 से 2026-27 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया गया। अपील संख्या-01/2025-172 दिनांक-24.02.2025 को सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण द्वारा उनके पत्रांक-Cane/2024-25/211 दिनांक-26.02.2025 के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1095 दिनांक-	

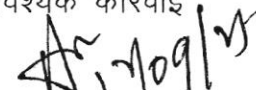
	20.09.2023 द्वारा आरक्षित पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के कोयरीपट्टी पंचायत के 8 (आठ) ग्रामों को यथावत आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में पुनः ईखायुक्त, बिहार के ज्ञापांक-1047/ई०का० दिनांक-07.07.2025 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-1086/ई०का० दिनांक-08.07.2025 के द्वारा आदेश पारित किया गया। मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण के प्रबंधन द्वारा यह भी बताया गया कि NCR के अनुरूप गन्ना नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार राज्य की चीनी मिलों को गन्ना की काफी कमी है इसलिए उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को बिहार की गन्ना नहीं दिया जाय। सिधवलिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि ठकराहाँ प्रखण्ड के गन्ने को बिहार के चीनी मिलों को ही आरक्षित किया जाय। विष्णु चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि ठकराहाँ प्रखण्ड के मोतीपुर पंचायत अन्तर्गत रूपा टोला एवं शैरा टोला को हमारी चीनी मिल को आरक्षित किया जाय। सेवरही चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि ठकराहाँ प्रखण्ड के कोयरीपट्टी जो हमारी चीनी मिल को आवंटित गया था उसकी दूरी हमारी चीनी मिल से 4.5 कि०मी० है। कृषकों को गन्ना लाने में कोई परेशानी नहीं है। मिल गेट पर गन्ना सप्लाई के कारण किसानों को 20.00 रु०/क्विंटल अधिक भुगतान प्राप्त होता है। सभी पक्षों को सुना गया। आदेश : विभागीय पत्रांक-1095/ई० का० दिनांक-20.09.2023 द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहा प्रखण्ड के सभी 08 ग्रामों को पेराई सत्र 2025-26 के लिए पूर्व की भाँति मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण अपरम्परागत रूप से इस शर्त के साथ आरक्षित किया जाता है कि उक्त ग्रामों के आरक्षित किसानों के द्वारा आपूर्ति कराये जाने वाले गन्ना के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। गन्ना किसानों को भुगतेय राशि की नियमानुसार समय पर भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जायेगा।  लेखापित एवं शुद्धित  (बी. कार्तिकेश धनजी) सचिव।	
--	--	--

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

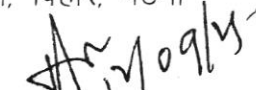
ज्ञापांक-01/2025 (अपील)- 1436 /पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, मेसर्स तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण/मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज/मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज/प्रबंधक, द यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कं० लि०, सेवरही, जिला-कुशीनगर (उ० प्र०)/विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

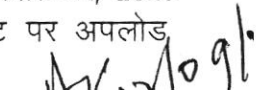
ज्ञापांक-01/2025 (अपील)- 1436 /पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/2025 (अपील)- 1436 /पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०) को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/2025 (अपील)- 1436 /पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि- आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव।